कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 4933 /मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, जून 18 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत में0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला सोनभद्र के 344.688हे0 आरक्षित वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/MIN/47074/2020 30वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा के पत्रांक–2887/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–14.06.2021,

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा ने अपने कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 344.688हे0 क्षेत्र वन भूमि के खनन कार्य अनुमति के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् अनुमति प्रस्ताव FP/UP/MIN/47074/2020 है जिसकी परीक्षणोपरान्त वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में मय सी0डी0 संस्तुति सहित निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

1. <u>प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरणः–</u>

i. उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक–24.10.1973 के क्रम में वर्ष 1976 में ग्राम–कोटा व पड़रछ (डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स से सम्बन्धित) में कुल 751 हे0 क्षेत्र का उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0, के पक्ष में 20 वर्ष हेतु लाईम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्श 1996 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी। तत्पष्चात उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया।

इसी प्रकार वर्ष 1982 में ग्राम–कोटा व बिल्ली मारकुण्डी (भलुआ लाईम स्टोन से सम्बन्धित) में कुल 643.433 हे0 क्षेत्र में उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0 के पक्ष में 20 वर्ष हेतु लाईम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्ष 2002 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी। तत्पश्चात उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0 द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उ0प्र0 षासन को प्रेशित किया गया।

ii. उल्लेखनीय है कि डाला कजरहट एवं भलुआ माईंस से सम्बन्धित ग्रामो की धारा 4 की अधिसूचना निम्नलिखित दिनांक को अधिसूचित की गयी थीः–

क0सं0	ग्राम का नाम	धारा 4 की अधिसूचना संख्या	दिनांक
1	कोटा	1. 270/14–2–4(15)–74	दि0 22.02.78
		2. 6288/14–2–4(15)–74	दि0 02.03.77
2	बिल्ली मारकुण्डी	1. 6865/14–ख–4(11)–70	दि0 21.12.73
		2. 3723/14–2–4(67)–69	दि0 05.11.69
3	पड़रछ	5380 /14–ख–4(27)–70	दि0 10.09.70

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के याचिका संख्या 1061/1982 वनवासी सेवा आश्रम बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक–20.11.1986 के क्रम में हुयी वन्दोवस्ती की कार्यवाही में वन वन्दोवस्त अधिकारी/अपर जिला जज द्वारा वर्श 1994 में प्रश्नगत क्षेत्र को आरक्षित वन बनाये जाने के पक्ष में निर्णय पारित किया गया।

iii. इसी दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की फैक्ट्री के लगातार घाटे में चलने के कारण उसे Sick Industries घोषित किया गया तथा मा0 उच्च न्यायालय के देख रेख में उक्त फैक्ट्री को Wound Up कर लिक्विडेट किये जाने का निर्णय लिया गया।

iv. उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला के लिक्विडेशन के दौरान डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स का कुल 751हे0 क्षेत्र तथा भलुआ माइन्स से सम्बन्धित 643.433 हे0 क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की परिसम्पत्ति मानते हुए विज्ञप्ति किया गया। विज्ञप्ति में यह उल्लेख किया गया कि वन भूमि में निहित खनन पट्टे का नवीनीकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो के अनुरुप भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देश के क्रम में आवश्यक कार्वाही करने के उपरान्त किया जायेगा। तत्क्रम में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला के लिक्विडेशन की कार्यवाही समाप्त की गयी तथा उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की परिसम्पत्तियों को मेंo जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 को हस्तान्तरित कर दिया गया।

v. तत्पश्चात दिनांक–02.12.2007 को डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे के कुल क्षेत्रफल 751हे0 में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 380.635हे0 को छोड़कर गैर वन भूमि 370.365हे0 भूमि को 01.05.1996 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 के पक्ष में कतिपय शर्तो के अधीन नवीनीकृत किया गया।

इसी प्रकार दिनांक–07.11.2007 को भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 643.433हे0 में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 50.606हे0 को छोड़कर शेष 592.827हे0 भूमि को 08.11.2002 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 के पक्ष में कतिपय शर्तो के अधीन नवीनीकृत किया गया।

उक्त कार्यवाही के दौरान यह अपेक्षित था कि डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स एवं भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के वन भूमि पर खनन किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

vi. किन्तु मेंo जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के स्थान पर डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के अन्दर 380.435हे0 एवं भलुआ माइन्स के 19.657 वन भूमि को धारा 4 से पृथक किये जाने हेतु वन वन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज के न्यायालय में क्लेम दाखिल किया गया

तथा उक्त भूमि को धारा 4 में विज्ञापित वन भूमि से पृथक करा लिया गया तथा उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक–12.09.2008 को, वर्ष 2008 में ग्राम–कोटा का धारा 20 की अधिसूचना निर्गत कर वन बन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज द्वारा पारित निर्णयों को स्वीकार कर लिया गया। जिसके फलस्वरुप डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स एवं भलुआ लाईम स्टोन माईन्स में कुल 400.092हे0 वन भूमि को गैर वन भूमि का दर्जा प्राप्त हुआ।

vii. प्रश्नगत प्रकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या 2469/2009 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया गया तथा उक्त याचिका एफ0ए0 संख्या 1166/2015 में परिवर्तित हो गयी, जिसमें पारित निर्णय दिनांक–04.05.2016 को मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा अपर जिला जज/जिला जज द्वारा भूमि को धारा 4 से पृथक किये जाने सम्बन्धी निर्णयो को निरस्त कर दिया गया तथा उ0प्र0 सरकार को प्रश्नगत क्षेत्रों का आरक्षित वन में सम्मिलित करते हुए, पुनः संशोधित धारा 20 की अधिसूचना जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

viii. तत्पश्चात में0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही को त्वरित करने हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष एम0ए0 संख्या 471/2016 योजित किया गया। जिसमें दिनांक–30.05.2016 को निर्णय पारित कर प्रश्नगत क्षेत्र से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 06 माह के अन्दर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उ0प्र0 सरकार को निर्देशित किया गया।

ix. इस प्रकार में0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में धारा 4 से पृथक कराया गया 380.435हे0 भूमि एवं भलुआ माईन्स कि 19.657हे0 वन भूमि, संशोधित धारा 20 की अधिसूचना निर्गत हो जाने के उपरान्त आरक्षित वन भूमि का दर्जा प्राप्त कर चुका है।

x. उल्लेखनीय है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–30.05.2016 में मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स, लि0 को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिया गया था। किन्तु वर्ष 2017 में जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों को में0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 को विक्रय कर दिया गया। अतः वर्तमान में में0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

xi. वर्तमान प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी(में0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट, लि0) द्वारा डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में स्थित समस्त वन भूमि 380.635हे0 में से इकोसेन्सिटिव जोन से 01 किमी0 के अन्दर पड़ने वाले क्षेत्र को छोड़कर 294.082हे0 भूमि पर तथा भलुआ लाईम स्टोन माईन्स में स्थित समस्त वन भूमि 50.606हे0 पर गैर वानिकी (खनन) कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है।

xii. डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 751हे0 में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 380.635हे0 को छोड़कर गैर वन भूमि 370.365हे0 भूमि पर वर्ष 2007 में उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 के पक्ष में खनन हेतु लीज नवीनीकृत किया गया था किन्तु डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में 380.635हे0 वन भूमि पर वर्ष 1976 में जारी की गयी खनन लीज (जो कि वर्ष 1996 में समाप्त हो चुकी है) को वर्ष 1996 के उपरान्त नवीनीकृत नहीं किया गया है।

इसी प्रकार भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 643.433हे0 में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 50.606हे0 को छोड़कर शेष 592.

827हे0 भूमि पर वर्ष 2007 में उ0प्र0 खनिज विकास निगम लि0 के पक्ष में खनन हेतु नवीनीकृत किया गया था, किन्तु 50.606हे0 वन भूमि पर वर्ष 1982 में जारी की गयी खनन लीज (जो कि वर्ष 2002 में समाप्त हो चुकी है) को वर्ष 2002 के उपरान्त नवीनीकृत नहीं किया गया है।

2. **प्रस्ताव से सम्बन्धित 344.688हे0 आरक्षित वन के सापेक्ष गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की स्थिति का विवरणः—**

i. प्रस्ताव से सम्बन्धित कुल 344.688हे0 क्षेत्र में से 235.737हे0 गैर वनभूमि भूमि मीरजापुर वन प्रभाग में तथा 108.951हे0 गैर वन भूमि कैमूर वन्य जीव प्रभाग में दी जा रही है।

ii. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि के सम्बन्ध में निम्नवत स्थिति स्पष्ट की गयी है:—

क0सं0	भूमि का क्षेत्रफल	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या
1	133.307हे0	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त
2	90.837हे0	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त परन्तु अतिक्रमित
3	120.544हे0	वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त

iii. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त क्षेत्र 120.544 हे0 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार की गाईड लाईन का उल्लेख करते हुए, "Tree for tree and land for land" के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त गैर वन भूमि के समतुल्य ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत सकल क्षेत्रफल 120.544हे0 (कुल 121हे0) वन भूमि को वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है।

iv. वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त किन्तु अतिक्रमित 90.837हे0 गैर वन भूमि को वर्तमान में अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है। उक्त के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage I) प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा अतिक्रमित भूमि को खाली कराकर वन विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा।

3. **प्रस्ताव से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुः—**

i. प्रस्ताव में सम्मिलित कुल 344.688हे0 क्षेत्र में से 26.579हे0 क्षेत्र पर गैर वानिकी कार्य होना पाया गया। जिसका विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

ii. भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सम्बन्ध में जारी हैण्ड बुक के चैप्टर 7 में 7.2 में निम्नवत उल्लेख किया गया है:—

1.2 The Supreme Court of India in its order of 6th July 2011 issued guidelines so as to not create fait accompli situation in the matter of diversion of forest land under the FCA, 1980 Therefore, in the case of new mining leases/projects having forest land in part or in full, approval under FCA for diversion of entire forest land located within the mining lease/project is to be obtained before execution/renewal of mining lease/ project.

उल्लेखनीय है कि डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में 380.635हे0 व
भूमि स्थित है किन्तु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में कैमूर वन्य जीव विहा
के इको सेन्सिटिव जोन में स्थित 86.553हे0 वन भूमि को शामिल नहीं किया गया
तथा डाला कजरहट लाईम स्टोन माईन्स में स्थित 380.635हे0 वन भूमि में
294.082हे0 वन भूमि का ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति हे
प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा द्वारा उपरोक्त उल्लिखित तथ्यो व
दृष्टिगत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो एव
तत्सम्बन्धी नियमो के अन्तर्गत सुसंगत होने की दशा में प्रश्नगत वन भूमि पर खनन कार्य किय
जाने की अनुमति दिये जाने की संस्तुति की जाती है। प्रश्नगत प्रस्ताव को इस स्तर से ऑन
लाईन सबमिशन कर 3 प्रतियों में एतद्सह संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक–प्रस्ताव तीन प्रति।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या–4933 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को उपरोक्त प्रस्ताव 03 प्रतियो
में संलग्नकर इस आशय से प्रेषित है कि प्रश्नगत प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक–प्रस्ताव तीन प्रति।

(रमेश चन्द्र झा) 18/06
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

01L

भाग– ।।।

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत **मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला सोनभद्र के 344.688हे0** आरक्षित वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/MIN/47074/2020 30वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षेणो को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे	**निरीक्षण दिनांक– 16.06.2021** **निरीक्षण टिप्पणी संलग्नक है।**
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारशें।	प्रश्नगत प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो एवं तत्सम्बन्धी नियमो के अन्तर्गत सुसंगत होने की दशा में प्रश्नगत वन भूमि पर खनन कार्य किये जाने की अनुमति दिये जाने की संस्तुति की जाती है

दिनांक 18.06.2021

हस्ताक्षर

स्थान–मीरजापुर

नाम

सरकारी मोहर

निरीक्षण टिप्पणी

मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु कुल 344.688हे0 का वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्तावः–

दिनांक–16.06.2021 को प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा व प्रयोक्ता एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री राहुल सहगल, यूनिट हेड, श्री विवेक खोसला, फंग्सनल हेड खनन, श्री डी0के0 पाण्डेय, जी0एम0 खनन, श्री अतुल गहराना, जियोलाजिस्ट, श्री प्रदीप शर्मा, सर्वेयर के साथ प्रश्नगत क्षेत्र का मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आयाः–

i. उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक–24.10.1973 के क्रम में वर्ष 1976 में ग्राम–कोटा व पड़रछ (डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स से सम्बन्धित) में कुल 751 हे0 क्षेत्र का उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0, के पक्ष में 20 वर्ष हेतु लाईम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्ष 1996 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी। तत्पश्चात उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया।

   इसी प्रकार वर्ष 1982 में ग्राम–कोटा व बिल्ली मारकुण्डी (भलुआ लाईम स्टोन से सम्बन्धित) में कुल 643.433 हे0 क्षेत्र में उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0 के पक्ष में 20 वर्ष हेतु लाईम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्ष 2002 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी। तत्पश्चात उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0 द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया।

ii. उल्लेखनीय है कि डाला कजरहट एवं भलुआ माईंस से सम्बन्धित ग्रामो की धारा 4 की अधिसूचना निम्नलिखित दिनांक को अधिसूचित की गयी थीः–

क्र0सं0	ग्राम का नाम	धारा 4 की अधिसूचना संख्या	दिनांक
1	कोटा	1. 270/14–2–4(15)–74	दि0 22.02.78
		2. 6288/14–2–4(15)–74	दि0 02.03.77
2	बिल्ली मारकुण्डी	1. 6865/14–ख–4(11)–70	दि0 21.12.73
		2. 3723/14–2–4(67)–69	दि0 05.11.69
3	पड़रछ	5380 /14–ख–4(27)–70	दि0 10.09.70

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के याचिका संख्या 1061/1982 वनवासी सेवा आश्रम बनाम् उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक–20.11.1986 के क्रम में हुयी वन्दोवस्ती की कार्यवाही में वन वन्दोवस्त अधिकारी/अपर जिला जज द्वारा वर्ष 1994 में प्रश्नगत क्षेत्र को आरक्षित वन बनाये जाने के पक्ष में निर्णय पारित किया गया।

iii. इसी दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की फैक्ट्री के लगातार घाटे में चलने के कारण उसे Sick Industries घोषित किया गया तथा मा0 उच्च न्यायालय के देख रेख में उक्त फैक्ट्री को Wound Up कर लिक्विडेट किये जाने का निर्णय लिया गया।

iv. उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला के लिक्विडेशन के दौरान डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स का कुल 751हे0 क्षेत्र तथा भलुआ माइन्स से सम्बन्धित 643.433 हे0 क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की परिसम्पत्ति मानते हुए विज्ञप्ति किया गया। विज्ञप्ति में यह उल्लेख किया गया कि वन भूमि में निहित खनन पट्टे का नवीनीकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो के अनुरुप भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देश के क्रम में आवष्यक र्कावाही करने के उपरान्त किया जायेगा। तत्क्रम में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला के लिक्विडेशन की कार्यवाही समाप्त की गयी तथा उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की परिसम्पत्तियों को में0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 को हस्तान्तरित कर दिया गया।

v. दिनांक–02.12.2007 को डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे के कुल क्षेत्रफल 751हे0 में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 380.635हे0 को छोड़कर गैर वन भूमि 370.365हे0 भूमि को 01.05.1996 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 के पक्ष में कतिपय षर्तो के अधीन नवीनीकृत किया गया।

इसी प्रकार दिनांक–07.11.2007 को भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 643.433हे0 में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 50.606हे0 को छोड़कर शेष 592.827हे0 भूमि को 08.11.2002 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 के पक्ष में कतिपय शर्तो के अधीन नवीनीकृत किया गया।

उक्त कार्यवाही के दौरान यह अपेक्षित था कि डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स एवं भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के वन भूमि पर खनन किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

vi. किन्तु मैं0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के स्थान पर डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के अन्दर 380.435हे0 एवं भलुआ माइन्स के 19.657 वन भूमि को धारा 4 से पृथक किये जाने हेतु वन वन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज के न्यायालय में क्लेम दाखिल किया गया तथा उक्त भूमि को धारा 4 में विज्ञापित वन भूमि से पृथक करा लिया गया तथा उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक–12.09.2008 को, वर्ष 2008 में ग्राम–कोटा का धारा 20 की अधिसूचना निर्गत कर वन वन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज द्वारा पारित निर्णयों को स्वीकार कर लिया गया। जिसके फलस्वरुप डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स एवं भलुआ लाईम स्टोन माईन्स में कुल 400.092हे0 वन भूमि को गैर वन भूमि का दर्जा प्राप्त हुआ।

vii. प्रश्नगत प्रकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या 2469/2009 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया गया तथा उक्त याचिका एफ0ए0 संख्या 1166/2015 में परिवर्तित हो गयी, जिसमें पारित निर्णय दिनांक–04.05.2016 को मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा अपर जिला जज/जिला जज द्वारा भूमि को धारा 4 से पृथक किये जाने सम्बन्धी निर्णयो को निरस्त कर दिया गया तथा उ0प्र0 सरकार को प्रश्नगत क्षेत्रों का आरक्षित वन में सम्मिलित करते हुए, पुनः संषोधित धारा 20 की अधिसूचना जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

viii. तत्पश्चात मैं0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही को त्वरित करने हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष एम0ए0 संख्या 471/2016 योजित किया गया। जिसमें दिनांक–30.05.2016 को निर्णय पारित कर प्रश्नगत क्षेत्र से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 06 माह के अन्दर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उ0प्र0 सरकार को निर्देशित किया गया।

ix. इस प्रकार मैं0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में धारा 4 से पृथक कराया गया 380.435हे0 भूमि एवं भलुआ माईन्स कि 19.657हे0

वन भूमि, संशोधित धारा 20 की अधिसूचना निर्गत हो जाने के उपरान्त आरक्षित वन भूमि का दर्जा प्राप्त कर चुका है।

x. उल्लेखनीय है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेष दिनांक–30.05.2016 में मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स, लि0 को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देष दिया गया था। किन्तु वर्ष 2017 में जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों को मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 को विक्रय कर दिया गया। अतः वर्तमान में मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

xi. वर्तमान प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी (मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट, लि0) द्वारा डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में स्थित समस्त वन भूमि 380.635हे0 में से इकोसेन्सिटिव जोन से 01 किमी0 के अन्दर पड़ने वाले क्षेत्र को छोड़कर 294.082हे0 भूमि पर तथा भलुआ लाईम स्टोन माईन्स में स्थित समस्त वन भूमि 50.606हे0 कुल 344.688हे0 आरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी (खनन) कार्य किये जाने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया है।

xii. खनन कार्य हेतु प्रस्तावित कुल 344.688हे0 क्षेत्र पूर्व में उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 व उ0प्र0 खनिज विकास निगम लि0 के पक्ष में पूर्व में स्वीकृत लीज का भाग है।

xiii. खनन कार्य हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन क्षेत्र मौके पर हरा–भरा जंगल के रुप में पाया गया तथा विभिन्न व्यास श्रेणी के भिन्न–भिन्न प्रजाति के कुल 16534 वृक्ष जो मौके पर मौजूद होना प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा द्वारा बताया गया, जिसका नियमानुसार छपान कर कटान किया जाना है तथा जगह–जगह पर खनन कार्य, बारुद गोदाम, मिक्सिंग शेड, कम्प्रेसर हाउस इत्यादि का निर्माण हुआ पाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क0सं0	कार्य/क्षेत्र का विवरण	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0में)
1	खनन कार्य	3303,3196, 3205, 3201, 5844	26.485
2	बारुद गोदाम	5857	0.015
3	मिक्सिंग शेड	3211	0.001
4	कम्प्रसर हाउस	3211	0.024
5	रेस्ट शेल्टर	3211	0.008
6	सोन नदी से खनन कार्य, कारखाना, एवं आवासीय परिसर हेतु पानी की पाईप लाईन का निर्माण	3203, 3204, 3211	0.0464
योगः–			**26.579**

उक्त गैर वानिकी कार्य के सम्बन्ध में0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि गैर वानिकी कार्य उ0प्र0 सीमेन्ट कारपोरेशन, लि0 द्वारा किया गया है।

उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि प्रश्नगत 344.688हे0 वन भूमि पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टो में सम्मिलित रही है तथा उक्त भूमि पर तत्समय में उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 व उ0प्र0 खनिज विकास निगम लि0 द्वारा खनन कार्य भी किया गया है, ऐसे में सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों एवं शासनादेशो का अनुपालन करते हुए खनन कार्य हेतु अनुमति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्त उल्लिखित तथ्यो के दृष्टिगत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो एवं तत्सम्बन्धी नियमो के अन्तर्गत सुसंगत होने की दशा में प्रश्नगत वन भूमि पर खनन कार्य किये जाने की अनुमति दिये जाने की संस्तुति की जाती है तथा प्रश्नगत प्रस्ताव की तीन प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव की 02 प्रति उच्च स्तर पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।